



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39382

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6626/2026

सियाराम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: अजीत सिंह, अनिल कुमार यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के साथ दायर की है:-

I. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को यह आदेश एवं निर्दिष्ट करना कि वे फील्ड बुक दिनांक 14.06.2021 और प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के अनुसार, ग्राम नखतपुर, परगना पचोथर, तहसील कासिमाबाद, जिला गाजीपुर में स्थित अराजी संख्या 1272, क्षेत्रफल 0.3880 हेक्टेयर के अपने सीमांकित क्षेत्र पर याचिकाकर्ता का कब्जा पुनः स्थापित करें।

II. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह आदेश एवं निर्दिष्ट करना कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 6.12.2025 के आवेदन को निर्धारित अवधि के भीतर आख्यापक और सकारण आदेश द्वारा विनिश्चित करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित हो तो उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन की प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

4. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों तथा न्याय के हित में, याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील कासिमाबाद, गाजीपुर के समक्ष अपनी समस्त शिकायतों से संबंधित नया आवेदन प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष ऐसा आवेदन/अभ्यावेदन आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 उक्त अभ्यावेदन पर अगले तीन सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे।

4. उपरोक्त संप्रेक्षण के साथ, रिट याचिका अंततः निस्तारित की जाती है।

18 फ़रवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)